संख्या– 81 /VI-I/2007–2(4)2007

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
देहरादून

युवा कल्याण अनुभाग

देहरादून दिनांक : 27 अप्रैल, 2007

विषयः– वित्तीय वर्ष, 2007–08 में विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–11/दो–1473/2007–2008 दिनांक– 4–4–2007 एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या–255/XXXVII (I)/2007, दिनांक– 26 मार्च 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि युवा कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के वित्तीय वर्ष 2007–08 के 04 माह के लेखानुदान की समस्त धनराशि (1 अप्रैल 2007 से 31 जुलाई 2007 तक के लिए) व्यय हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि में रू0 3975 हजार रूपये (रूपये उन्नतालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) निम्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं।

अनुदान संख्या–11
लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें
001–निदेशन तथा प्रशासन
04–प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण

आयोजनेत्तर (धनराशि हजार में)

क0सं0	मानक मद	धनराशि
12.	11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	92
13.	44–प्रशिक्षण व्यय	100
14.	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का कय	33
	योग	
(ख)	05–युवा कल्याण परिषद को अनुदान 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	750
(ग)	08–प्रान्तीय रक्षक दल कल्याण कोष की स्थापना 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1500
(घ)	09–युवा दलों को आर्थिक सहायता 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1500
	योग	3975

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आंवटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हैं। ऐसा व्यय सम्बन्धित की वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

3. धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किए गए शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय कि विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

4. इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2204–के संगत मानक मदों के नाम डाला जायेगा।

5. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या–17(एन.पी.)/वित्त अनुभाग–3/2007 दिनांक– 24 अप्रैल, 2007 प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहें हैं।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 81 /VI-I/2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पलेस सी–1/105 इन्द्रिरा नगर, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून
5. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6. एन0आई0सी0, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

26.4.07

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव